

न्यायालय न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट, नागौर  
बड़जलास - मोहन लाल खटनावलिया, आर0ए0एस0

परिवाद संख्या - 04/23

प्रार्थी

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा  
अधिकारी कार्यालय मुख्य  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य  
अधिकारी कम अभिहित  
अधिकारी, नागौर

बनाम

1 आकाश बटेसर पुत्र हरकरण बटेसर निवासी वार्ड नम्बर 3 वाटर टैंक जायल तहसील जायल जिला नागौर।  
फर्म:-यश डेयरी फार्म, बस स्टेण्ड जायल, तहसील जायल जिला नागौर।  
2 महेन्द्र सांगवा पुत्र पदमाराम निवासी नागौर रोड, तरनाउ तहसील जायल जिला नागौर।  
फर्म:-यश डेयरी फार्म, बस स्टेण्ड जायल, तहसील जायल जिला नागौर।

अप्रार्थीगण

आदेश

दिनांक :18.07.2023

1. प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर द्वारा परिवाद प्रस्तुत किया गया कि दिनांक 08-12-2022 को मैसर्स यश डेयरी फार्म, बस स्टेण्ड जायल, तहसील जायल जिला नागौर पर खाद्य पदार्थ मिक्स दूध में मिलावट का शक होने पर नमूना वास्ते जांच लिया जाकर सीरीयल कोड नं. क्यू 2070 अंकित किया गया। उक्त नमूने की जांच खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला अजमेर से करवायी गयी। जिनकी जांच रिपोर्ट क्रमांक एलएस/1344/एक्ट/2022/169 दिनांक 15.12.2022 के द्वारा प्रार्थी द्वारा लिया गया नमूना खाद्य पदार्थ मिक्स दूध सबस्टेण्डर्ड होना पाया गया। उक्त जांच रिपोर्ट के अनुसार अभियुक्तगण आकाश बटेसर पुत्र हरकरण बटेसर निवासी वार्ड नम्बर 3 वाटर टैंक जायल तहसील जायल जिला नागौर, महेन्द्र सांगवा पुत्र पदमाराम निवासी नागौर रोड, तरनाउ तहसील जायल जिला नागौर ने एफ.एस.एस.ए. 2006 की धारा 26 उप धारा (2) (ii) का उल्लंघन किया है, जो कि एफ.एस.एस.ए. 2006 की धारा 51 के तहत जुर्माना योग्य अपराध होने से अप्रार्थीगण को जुर्माने से दण्डित किए जाने हेतु निवेदन किया गया।

2. खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह परिवाद दिनांक 06-02-23 को इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जो दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण ने दिनांक 18.07.23 को अपना जवाब प्रस्तुत कर जुर्म स्वीकार किया। अप्रार्थीगण ने अपने जवाब में बताया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी नागौर ने हमारी दुकान से दूध लिया जो जांच में सबस्टेण्डर्ड होना पाया गया। दूध के सैम्पल के अनुसार दूध के कन्टेन्स में किसी प्रकार की मिलावट या अन्य कोई पदार्थ डालना या अन्य पदार्थ मिलाया जाना नहीं पाया गया है बल्कि थोड़ी मात्रा में फेटी कन्टेन्ट्स निर्धारित मात्रा से कम पाया गया है जबकि नोन फेटी कन्टेन्ट्स निर्धारित मात्रा से अधिक पाया गया है। फेट कन्टेन्ट्स का निर्धारित मात्रा से कम होने का कारण दुधारू पशु को पशु आहार में फेट की मात्रा कम दी जा सकती है तथा अप्रार्थीगण ने लोक अदालत की भावना से जुर्म स्वीकार किया तथा दोष मुक्त करवाने एवं कम से कम जुर्माना लगाने का निवेदन किया है।

3. पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। उपरोक्त वर्णित तथ्यों एवं पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात एवं खाद्य विश्लेषक से प्राप्त जांच रिपोर्ट संख्या क्रमांक एलएस/1344/एक्ट/2022/169 दिनांक 15.12.2022 के अनुसार खाद्य पदार्थ मिक्स दूध का नमूना सबस्टेण्डर्ड होना पाया गया। इसलिये अप्रार्थीगण को दोषी करार दिया जाता है। इस प्रकार अप्रार्थीगण द्वारा खाद्य एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (2) (ii) का उल्लंघन करने एवं अपराध कारित करने के फलस्वरूप उक्त अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत अप्रार्थी संख्या 01 आकाश बटेसर पुत्र हरकरण बटेसर निवासी वार्ड नम्बर 3 वाटर टैंक जायल तहसील जायल जिला नागौर पर रुपये 15,000/- अक्षरे पन्द्रह हजार रुपये तथा अप्रार्थी संख्या 02 महेन्द्र सांगवा पुत्र पदमाराम निवासी नागौर रोड, तरनाउ तहसील जायल जिला नागौर रुपये 15,000/- अक्षरे पन्द्रह हजार रुपये कुल रुपये 30,000/- अक्षरे तीस हजार रुपये शास्ति आरोपित की जाती है। आदेश की प्रति संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं संबंधित अप्रार्थीगण को भिजवाने हेतु अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर को भेजी जावे। अप्रार्थीगण से उपरोक्त शास्ति राशि वसूल कर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर के कार्यालय में ट्रेजरी चालान के माध्यम से निर्णय तिथि के एक माह के अन्दर जमा करवाई जाकर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। यदि अप्रार्थीगण निर्धारित समयावधि में शास्ति राशि जमा करवाने में असफल रहते हैं तो अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर इस संबंध में बनाए गए नियमों के अंतर्गत वसूली की कार्यवाही भी सुनिश्चित करेंगे।

4. आदेश लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मोहन लाल खटनावलिया)  
अति. जिला मजिस्ट्रेट, नागौर  
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट  
नागौर (राजस्थान)